संख्या-03 /2024/ 22 /001-74-2002-001-09-2023

प्रेषक,

सुनील कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 21 फरवरी, 2024

विषय:-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय योजना के अन्तर्गत 01-वेतन मद में हो रही सम्भावित बचत से 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में पुनर्विनियोग प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-366/सेरी0/लेखा/अधि0/2023-24, दिनांक 06 जनवरी, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रेशम निदेशालय के अन्तर्गत अनुदान संख्या-10-लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय-01-वेतन मद में हो रही संभावित बचतों में से धनराशि रू0 68.00 लाख (रूपये अडसठ लाख मात्र) का अनुदान संख्या-10-लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदया निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं -

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- आगामी वित्तीय वर्ष में वर्तमान में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को विभागीय आवश्यकता के अनुसार रखे जाने पर निदेशक, रेशम द्वारा पुनः परीक्षण कर लिया जाये।

2- पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का व्यय आउटसोर्सिंग हेतु कार्यरत उन्हीं 87 कार्मिकों पर किया जायेगा जिस हेतु धनरशि स्वीकृत की जा रही है।

3- पुनर्विनियोग मात्र बजट व्यवस्था के उद्देश्य से किया जा रहा है। सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का व्यय किया जाये।

4- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका व्यय चालू वित्तीय वर्ष में नियमानुसार सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

6- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य् निदेशक, रेशम द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7- स्वीकृति की जाने वाली धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

8- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की माँग की जा रही है उसी मद में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

2- उल्लेखनीय है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 17-03-2023 (प/क) द्वारा बजट एलाटमेंट सिस्टम के माध्यम से वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट का क्रियान्वयन 01 अप्रैल, 2023 से प्रारम्भ हो रहा है। समस्त वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रशासकीय विभागों द्वारा उत्तर प्रदेश बजट अलाटमेंन्ट सिस्टम के माध्यम से आनलाइन जारी की जायेगी। उक्त हेतु रेशम विकास विभाग से श्री परमात्मा यादव, अनु सचिव को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

3- नोडल अधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत करने के साथ-साथ संबंधित स्वीकृति आदेश के विवरण को बजट एलाटमेन्ट सिस्टम (budgetallot.up.nic.in) पर भी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। इस प्रविष्टि के बाद ही संबंधित वित्त नियंत्रक के द्वारा अग्रेतर बजट एलाटमेन्ट की कार्यवाही की जा सकेगी।

4- उक्त पर होने वाला व्यय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-10 के अधीन सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9 (भाग-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक के बचतों से वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्तग (व्यतय-नियंत्रण) अनुभाग-1 की सहमति से जारी किये जा रहें हैं। वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 द्वारा बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र हेतु आर0ई0संख्या –बजट-1-400, दिनांक 07-02-2024 को आवंटित की गयी है।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 68.00 लाख (रूपये अडसठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 010 लेखा शीर्षक 2851000010300 अधिष्ठान व्यय - रेशम निदेशालय मानक मद 58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 68,00,000 (रुपये अड़सठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 010 **लेखा शीर्षक** 2851000010300 अधिष्ठान व्यय - रेशम निदेशालय **मानक मद** 58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-02/2024/403 /001-74-2002-001-09-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5 -वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

परमात्मा यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।